

## राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधियक, 2022 ध्वनमित से पारति

### चर्चा में क्यों?

22 सतिंबर, 2022 को राजस्थान अधिानसभा ने राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधियक, 2022 को ध्वनमित से पारति कर दया ।

### प्रमुख बदि

- शकिषा मंत्री डॉ.बी.डी. कल्ला ने बताया क अधियक में इनपुट क्रेडिटि टैक्स में सुधार कया गया है । व्यवहारी द्वारा इनपुट क्रेडिटि टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिटि टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा । साथ ही, क्रेडिटि नोट जारी करने की व्यवस्था को भी अधियक में शामिल कया गया है ।
- डॉ. कल्ला ने बताया क इस अधियक में यह प्रावधान भी शामिल कया गया है क 6 महीने तक रटिर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं कया जाएगा । इसके साथ ही जीएसटी आर-1, 3 एवं 8 की वविरणयों में भी सुधार कया गया है, जससे वविरणयों में वसिंगतयों को रोका जाएगा ।
- प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया क मुख्यमंत्री अशोक गहलोट के कुशल ववित्तीय प्रबंधन से जीएसटी के आधार वर्ष (2017-18) में राज्य में 12 हजार 137 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो क ववर्ष 2021-22 में 27 हजार 501 करोड़ रुपए पहुँच गया ।
- उन्होंने बताया क गत वर्ष की तुलना में राज्य के जीएसटी कलेक्शन में 5 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई है, जो क पिड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व हरयाणा से अधक है ।
- उल्लेखनीय है क जीएसटी को वर्ष 2017 में लागू कया गया था ।